



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

एल-एल0एम0 (अन्तिम वर्ष) परीक्षा 2003 की अंकतालिका
Marksheet of LL.M. (Final) Examination 2003

R

647392

नामांकन सं०
Enrolment No.

अनुक्रमांक : 99810
अभ्यर्थी का नाम : अभिषेक कुमार बगड़िया
पिता/पति का नाम : विनोद कुमार बगड़िया

प्रश्न पत्र		अधिकतम अंक Max. Marks	न्यूनतम अंक Min. Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	परीक्षाफल Result
कान्सटीट्यूशनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप Constitutional and Administrative Law Group	I ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ British Administrative Law	100	40	59	उत्तीर्ण Pass Div. श्रेणी II
	II इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ Indian Administrative Law	100	40	50	
इन्टरनेशनल लॉ ग्रुप International Law Group	I पब्लिक इन्टरनेशनल लॉ-पीस Public International Law-Peace	100	40	--	
	II इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन्स International Organisations	100	40	--	
क्रिमिनल लॉ ग्रुप Criminal Law Group	I प्रिन्सिपल्स आफ क्रिमिनल ला Principles of Criminal Law	100	40	--	
	II स्पेसिफिक रांग्स Specific Wrongs	100	40	--	
कान्ट्रैक्ट ग्रुप Contract Group	I जनरल प्रिन्सिपल्स आफ कान्ट्रैक्ट General Principles of Contract	100	40	--	
	II स्पेसिफिक कान्ट्रैक्ट Specific Contract	100	40	--	
योग Total		200	100	109	
डिजर्टेशन Dissertation		200	80	143	
मौखिकी Viva-Voce		100	40	71	
योग द्वितीय वर्ष Total Second Year		500	250	323	
योग प्रथम वर्ष Total First Year		500	250	258	
सम्पूर्ण योग Grand Total		1000	500	581	

सम्पूर्ण योग (शब्दों में) : पाँच सौ इक्यासी
Grand Total (in Words) : *Five Hundred Eighty One

(R) : संस्थागत (E) : भूतपूर्व

हस्ताक्षर जांचकर्ता
Sign. of Checkers

1. *Shankar*
2. *S. Chaturvedi*

Self attested

Abhishek
05/01/22

कृते-परीक्षा नियंत्रक

For Examination Controller

दिनांक Date ... 16/5/22 ...



क्रम संख्या: No 051412
Serial No. : No 051412

अनुक्रमांक : 99810
ROLL NO. : 99810

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
DEEN DAYAL UPADHYAY GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR



मास्टर ऑफ़ लाज़
MASTER OF LAWS

प्रमाणित किया जाता है कि अभिषेक कुमार बगड़िया (दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) ने इस विश्वविद्यालय की सन 2003 ई० की परीक्षा में मास्टर ऑफ़ लाज़ की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की।

This is to certify that ABHISHEK KUMAR BAGARIA (Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur) obtained the degree of Master of Laws of this university in the examination of 2003 A.D. and that he / she was placed in Second division.

*Self attested
Abhishek
05/11/22*

विजयादशमी / रामनवमी
VIJAYADASHMI / RAM NAVAMI

दिनांक : ५ नोवंबर 2003
DATE :

M. K. Sharma

कुलपति
VICE-CHANCELLOR

12 NOV 2008

संख्या- 8 /2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 .10

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2009 तथा सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 द्वारा मा0 शेड्यूल आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विषयगत तीनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 08-05-2017 एवं 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में निम्न व्यवस्था दी गयी :-

60. Accordingly, letter dated 03.01.2012 is quashed and the Government Orders dated 13.05.2009 and 27.03.2015 require clarification/modification to the extent they deny the benefit of three advance increments to those judicial officers who have acquired/acquire higher qualification of LL.M. after joining the service, therefore, we direct that :-

20 APR 2018

Rajibbar(J)(B)

Ley
RG

DRUM

Rajibbar

D.R.(C.R.R.) Admn
S.O. Admn, A1

Page 14

- i. The benefit of three advance increments shall also be admissible to the petitioners as well as all other similarly situated judicial officers in the State of U.P.
- ii. The judicial officers who acquire the degree of LL.M. before joining the service shall be entitled to three additional increments from the date of joining the service or from the date of implementation of the Government Order, as the case may be, while those who have acquired/acquire the same after joining the service shall be entitled to these increments from the date of acquisition of the higher qualification of LL.M.
- iii. The additional increments shall continue to be drawn by the judicial officers on their further promotion and/or placement in higher pay scale, as the case may be.

The writ petitions are decided accordingly. No order as to costs.

4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-05-2017 में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शासन द्वारा जारी किये गये अनुपालन आदेश संख्या-6/2018/149/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 03-04-2018 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि-पत्र संख्या-7/2018/149 ए/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 04-04-2018 को सम्यक् विचारोपरान्त मा0 न्यायालय के आदेश के अनुरूप न होने के कारण उसे एतद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03-05-2017 (जिसमें दिनांक 08-05-2017 को प्रदत्त दोनों आदेश समाहित हैं), के समादर में बिन्दुवार अनुपालन करते हुए श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आदेश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं, उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा।
- (2) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के उपरान्त एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी।
- (3) उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियों का लाभ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति/उच्च वेतनमान में जाने पर, जो भी स्थिति हो, मिलता रहेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे.आ. 2-206/दस-2018, दिनांक 13-04-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (दीपक त्रिवेदी)
 अपर मुख्य सचिव

संख्या-8/2018/279(1)/दो-4-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।